# न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 18/2016 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2016/00175

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

**प्रार्थी :—**

1. पानीदेवी पत्नी केराराम
2. सुखाराम पुत्र श्री केराराम
3. मंगलाराम पुत्र श्री केराराम
4. राजुराम पुत्र श्री केराराम
   समस्त जातिगण मेघवाल निवासीगण ग्राम कलाली तहसील रोहट जिला पाली

**बनाम**

**अप्रार्थीगण :—**

1. अणचीदेवी पत्नी शिवराम
2. प्रभुराम पुत्र शिवराम
3. किशन पुत्र शिवराम
4. प्रकाश पुत्र शिवराम
5. मांगीलाल पुत्र शिवराम
6. सन्तोष पुत्री शिवराम
   तमाम जातिगण मेघवाल निवासीगण ग्राम कलाली तहसील रोहट जिला पाली
7. रूपाराम पुत्र श्री बुद्धाराम उर्फ बुदिया जाति मेघवाल
8. हनुमान पुत्र श्री बुद्धाराम उर्फ बुदिया जाति मेघवाल
9. लाबुडी पत्नी श्री बुद्धाराम उर्फ बुदिया जाति मेघवाल
   तमाम निवासीगण ग्राम कलाली तहसील रोहट जिला पाली
10. सरपंच ग्राम पंचायत कलाली तहसील रोहट जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :— प्रार्थी की ओर से मांगीलाल प्रजापत उपस्थित

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी उपस्थित

## —:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 25/2/21

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत कलाली के मिसल संख्या 47 आदेश/प्रस्ताव दिनांक 3.10.1957 व पट्टा संख्या 41 दिनांक 17.10.1958 को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई है जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत कलाली का रेकर्ड तलब किया जाकर बहस उभयप पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि ग्राम कलाली के अप्रार्थीगण 1 से 9 का संयुक्त स्वामित्व का पुश्तैनी परिसर जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 9 का पिढ़ियों से रहवास है। जो चार भागों में विभक्त है। उत्तर में आम रास्ता के पास स्थित परिसर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का पुश्तैनी रहवास 80 वर्षो से है तथा वर्तमान में भी है इससे पूर्व शिवराम पुत्र देवजी का कब्जा था जो धापु पुत्री स्व. मगा के पुत्र थे। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 केराराम के वारिसान है अप्रार्थी संख्या 1 से 6 शिवराम के वारीसान है। जो जैर निगरानी परिसर 1/2 हिस्से में 1/2 हिस्से में काबिज है वादग्रस्त परिसर में ही मगा मेघवाल का पुश्तैनी कब्जासुदा रहवासी मकान होने से उसके बाद उनके उतराधिकारी पुत्र बुदिया धापु का कब्जा रहा बुदिया का उक्त परिसर में 1/2 हिस्सा रहा। वर्तमान में अप्रार्थी सं[illegible] 9 का रहवास है तथा मगा मेघवाल की वंशावली का भी [illegible] धापूड़ी (बहन) ने मगा के वारिसान की देखभा[illegible] ग्राम कलाली के ही [illegible] सम्पूर्ण परिसर धापु के कब्जे में रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

बाद में आधा भूखण्ड बुदिया को सुपुर्द किया बुदिया दिनांक 15.04.1957 को अनपढ़ व नाबालिग था एवं 16 वर्ष का था प्रार्थना पत्र पट्टा बनाने हेतु उक्त परिसर बिना आवेदन किए, बिना किसी प्रकार का शुल्क जमा कराये ग्राम पंचायत की मिसल संख्या 47 में जो प्रार्थना पत्र है उसमें तारिख नहीं है। सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है न किसी शुल्क का ब्यौरा है। तथा आम आपति जारी किए बिना आदेश बाबत पट्टा जारी करने के दे दिया जबकि मौका रिपोर्ट नहीं ली गई एवं दिनांक 20.08.1957 को सीधे बयान दर्ज किए जो उक्त समस्त कार्यवाही विधिसम्मत नहीं की गई। 03.10.1957 के पट्टा जारी करने का शुक्राना तय कर धारा 18 के तहत विक्रय विलेख जारी करने का प्रस्ताव जो काबिल खारिज है। 1/2 परिसर पर धापु का कब्जा था उसे नहीं सुना गया। मौका रिपोर्ट बाला–बाला कर बगैर सुनवाई के गैर कानूनी पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है मगा की मृत्यु के बाद धापु का भी 1/2 हिस्सा था बिना सुनवाई किए ग्राम पंचायत द्वारा पूरी जमीन का पट्टा बुदिया पुत्र मगा के नाम जारी कर दिया जो तथ्यों से विपरीत है। जबकि बुदिया पुत्र स्व. मगा का 1/2 हिस्सा ही था। लेकिन परम्परा अनुसार घर जमाई को बराबर हिस्सा दिया जाता है बुदिया का भी भरणपोषण नाबालिग होने से धापू पुत्र देवजी ने ही किया इस प्रकार परिसर पर कब्जा व रहवास अप्रार्थी संख्या 1 से 9 का संयुक्त पुश्तैनी था। जब अणची पत्नी शिवराम ने ग्राम पंचायत कलाली में विक्रय विलेख हेतु प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को परिसर खाली करने का नोटिस दे दिया। जबकि प्रार्थीगण का सन् 1997 से बिजली कनेक्शन है इसी प्रकार अणची के मकान में भी बिजली कनेक्शन है दिनांक 23.05.2012 को विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट ने दोनों पक्षकारों को यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिया। अणची द्वारा सिविल न्यायालय में एक प्रकरण 24/2013 दर्ज कराया व अस्थाई व्यादेश हेतु पेश किया जिसमें यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए गए है कमीश्नर रिपोर्ट 30.05.2013 में भी वाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया व पाबन्द किया इसमें भी मौके पर अप्रार्थी संख्या 7 से 9 का सम्पूर्ण परिसर पर कब्जा या रहवास नहीं होना स्पष्ट है। अप्रार्थी संख्या 7 से 9 ने एक वाद मूल 131/13 कब्जा दिलवाने बाबत सेशन न्यायालय में पेश किया जिसमें स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजी मकान का पट्टा संख्या 41 दिनांक 17.10.1980 जरिये प्रस्ताव दिनांक 03.10.1957 के तहत किया गया जिसके सम्बन्धित मिसल संख्या 47/15.04.1957 है। उन्होंने किराये की मांग के साथ मकान को खाली कर कब्जा लौटा देने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के बीच किराये की अधिनियम के तहत भी कोई इकरारानामा नहीं हुआ है न ही 7 से 9 अप्रार्थीगण मालिक है। वास्तविक मालिक मकान के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 है। 7 से 9 का हक हिस्सा मकान निर्माण रूकवाकर व प्रथम बार विक्रय विलेख पट्टा संख्या 41 दिनांक 15.10.1958 के बारे में बताया तो प्रार्थीगण को जानकारी हुई। पूर्व में बुदिया द्वारा भी विक्रय विलेख संख्या 41 मिसल संख्या 47 ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 03.10.1957 व गैर कानूनी जारी कराया जिसमें किसी को भी सुना नहीं गया। एवं जैर निगरानी पट्टा व आदेश जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। सिविल वाद एवं न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का कब्जा व रहवास है एवं 60 वर्षों में बुदिया के कायम मुकाम संख्या 7 से 9 के द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। तथा कब्जा लगातार चला आ रहा है उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर जैर निगरानी विक्रय विलेख खारिज योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी 1 से 6 वक्त बहस अनुपस्थित रहे। दिनांक 11.02.2021 को लिखित बहस पेश की जिसे पत्रावली में लिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायात 9 का संयुक्त स्वामित्व का पुश्तैनी मकान है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 का पिढियों से रहवास है प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 कब्जा मानते है।

क्रमश.....3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:30:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

उक्त भूमी किराये देने का कथन किया है व दावा किराया बाबत चलने का भी जिक्र किया है परन्तु ऐसी किसी प्रकार की कोई किराया चिठी पेश नहीं की हैं प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के अप्रार्थी संख्या 7 से 9 को मकान का मालिक माना है। वकील अप्रार्थी द्वारा बाबत बहस हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 213 का विशेष प्रावधान जो इसमें सम्मिलित है का उल्लेख करते हुए विवाहित पुत्रियों के अपने पिता की निवासगृह के निमित हक में दावे का अधिकार तक तक नहीं होगा जबकि पुरूष वारिस अपने अपने अंशों का विभाजन न कर दे। लेकिन नारी वारिस उसमें निवास करने की हकदार होगी अविवाहित पुत्री अथवा परित्यकता इसे वारिस हो सकती है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 7 से 9 भी जैर निगरानी आराजी में हकदार होने से निगरानी खारिज फरमावे। क्योंकि निगरानी में पुश्तैनी होने बाबत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है जैर निगरानी पट्टा 1958 में जारी किया गया था जिसके 60 वर्षों से भी अधिक समय बाद यह निगरानी पेश की है जो स्पष्टतया म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। जिसका कायम मुकाम की सूची देरीना पेश करने का तर्कसंगत कारण प्रस्तुत नहीं कर पाये है ऐसी स्थिति में भी निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। तथा म्याद बाहर होने से भी निगरानी खारिज फरमावे।

बहस सुनी गई पत्रावली एवं ग्राम पंचायत कलाली द्वारा प्रेषित जैर निगरानी रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम निगरानी पट्टा जारी होने के 60 वर्षों बाद पेश की गई। इतनी लम्बी देरी के बाद यह निगरानी पेश करने को कोई युक्तीसंगत कारण नहीं बताया है। न ही तर्कसंगत कारण के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अथवा शपथपत्र ही दिया है ऐसी स्थिति में 60 वर्षों बाद जैर निगरानी पट्टे को प्रश्नतगत किया है जो विधी सम्मत नहीं है। इस कारण मात्र यह बताया है कि सन् 2013 में निगरानी के विरूद्ध किए गए वाद के बाद निगरानी लेकर आए है यह तर्कसंगत कारण नहीं है जिससे 60 वर्ष देरी को Condone किया जा सके।

इसके अतिरिक्त बिजली के बिल, वंशावली आदि का उल्लेख, भूमी के स्वामित्व से सम्बन्धी प्रश्न एवं कथन टाईटल से सम्बन्धित है। तथा इस बाबत सन् 2013 की अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित वाद में भी उसका टाईटल होना नहीं बताया है। बिजली के बिल वंशावली आदि भी टाईटल से सम्बन्धित है भूमी पुश्तैनी है अथवा नहीं यह भी सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकरण में प्रार्थी का क्लेम टाईटल पर है न कि प्रक्रिया में रही त्रुटि पर। भूमी के हक अधिकारों को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के तहत प्रश्नगत कर अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है जबकि धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा जारी पट्टे की शुद्धता, नियमितता, एवं वैधानिकता की जांच की जा सकती है। जिसे सम्पूर्ण निगरानी में प्रश्नगत ही नहीं किया गया है इस प्रकार निगराकार निगरानी योग्य बिन्दुओं पर अपना पक्ष साबित करने में असफल रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा जैर निगरानी पट्टा संख्या 41 दिनांक 17.10.1958 तथा प्रस्ताव दिनांक 03.10.1957 तथा मिसल संख्या 47 में जारी आदेश दिनांक 17.10.1958 जो ग्राम पंचायत कलाली द्वारा जारी किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:58 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली